

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2012-13 में चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य वेतन श्रृंखला पी. बी. 2 (9300-34800) ग्रेड पे 4800/रू के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(2) एफ.डी/नियम/2006 दिनांक: 13.03.06 एवं एफ 12 (6) एफ.डी/नियम/05 दिनांक: 13.03.06 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये।

आदेश शिविरा-मा/संस्था/ सी-2/वाणिज्य-नियुक्ति/पीएससी/2012 दिनांक 16.01.2013 द्वारा निम्नांकित श्रीमती ज्योत्सना/एन डी तापडिया को राउमावि ओसियां- जोधपुर नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की गई, कार्यग्रहण अवधि चार बार बढ़ाये जाने उपरान्त उक्त श्रीमती ज्योत्सना व्याख्याता-वाणिज्य द्वारा दिनांक 17.07.2014 को बा. शास्त्रीनगर-जोधपुर में कार्यग्रहण किया गया। तदनुपरान्त पुनः उक्त श्रीमती ज्योत्सना व्याख्याता-वाणिज्य द्वारा राज्य सेवा से पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 22.07.2014 त्याग पत्र हेतु आवेदन किया गया। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 22 के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई तदुपरान्त उक्त श्रीमती ज्योत्सना व्याख्याता-वाणिज्य द्वारा दिनांक 11.04.2016 को पुनः कार्यग्रहण किया और निरन्तर राज्य सेवा में कार्य कर रही है।

उक्त श्रीमती ज्योत्सना, व्याख्याता-वाणिज्य के स्वैच्छिक अनुपस्थिति अवधि दिनांक 22.07.2014 से दिनांक 10.04.2016 तक राज्य सेवा से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 13.08.2020 से राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 के अनुसार विभागीय जांच विचाराधीन रही। अन्य आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि.जांच/11641/ जे-73/ 2020/49-50 दिनांक 14.12.2021 द्वारा जारी उक्त श्रीमती ज्योत्सना व्याख्याता-वाणिज्य के दिनांक 21.07.2014 से 10.04.2016 तक राज्य सेवा से अनुपस्थित अवधि को जक्त "FORFIT" किया गया एवं इनके परिवीक्षाकाल की गणना इनकी पुनः नियुक्ति तिथि से किये जाने के आदेश जारी किये गये।

तदनुसार निम्नांकित प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 08 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-) एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 08 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है।

क्र स	मेरिट नम्बर	वर्ग	नाम अभ्यार्थी एवं पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय	कार्यग्रहण की तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि	वर्तमान पदस्थापन (राउमावि/ राबाउमावि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	257	GEN	JYOTSNA/ N.D. TAPARIYA	01-09-1971	वाणिज्य	11-04-2016	11-04-2018	SHRI RAMSAWROOP GANESHI DEVI CHILKA GGSSS SHASTRI NAGAR SECTOR-A JODHPUR CITY-JODHPUR

(काना राम)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणिज्य-इतिहास/प्रोब-स्थाई/पीएससी 2012-13/2020

दिनांक: - 31/01/22

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासनसचिव, प्रथम, शिक्षा(युप-2)विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूलशिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय माध्यमिक
5. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससीप्रभाग, कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षितपत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर